



प्ररूप 26
(नियम 4क देखिए)

२६ - ली. १८ . ई. ७८ : रानीपुर

(निर्वाचन क्षेत्र से)

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

उत्तराखण्ड प्रिव्यान सभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र

मैं, अर्जुन नागराम पुत्र/पुत्री/पत्नी कलीम नागराम
आयु ३९ वर्ष, जो ग्राम + व्है० - बहादुराबाद हिस्सा

का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ/शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ-

1. मैं ऐसो किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(यदि अभिराक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी):—

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं ११५

(ii) पुलिस थाना (आने) श्रीनगर जिला (जिले) श्रीनगर राज्य श्रीनगर

(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है ११५

११५

(iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई श्रीनगर

(v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गये थे २१.५.११

(vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं श्रीनगर

2. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1), या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं

Arjun Nagar

ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दण्डादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :-

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं ३०५

(ii) न्यायालय, जिसने दण्डित किया है ३०५

(iii) पुलिस थाना (थाने) ३०५ जिला (जिले)
राज्य ३०५

(iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है.....

३०५.

(v) तारीख (तारीखों) जिनको दण्डादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे ३०५.

(vi) क्या दण्डादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं.....

श्री शनावाद, हरिद्वार
११.१.२०१२

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूं कि इस शपथ-पत्र की अंतर्वर्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्प्रक बात छिपायी नहीं गयी है।

स्थान पर आज तारीख को सत्यापित

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

30.5.12


Farmood Ali
Advocate
Distt. & Session Court
Haridwar

टिप्पणी - इस प्रूफ के वे रातम, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं हैं, काट दिये।
NISHA SHARMA
NOTARY ADVOCATE
GOVT. OF UTTARAKHAND,
HARIDWAR



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

13AA 371875



Nisha Sharma 29
11/11/12

NISHA SHARMA
NOTARY ADVOCATE
GOVT. OF UTTARAKHAND
HARIDWAR

Id. By
Farooq Ali
Advocate
District & Session Court
Rishabhgarh, Haridwar

Ayush Aggarwal